21 अक्टूबर, 2022

प्रेस विज्ञप्ति

वर्तमान विधायकों का विश्लेषण जिनके खिलाफ आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आने वाले अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉम्स
टी–95, सी.एल. हाऊस, द्वितीय तल,
नज़दीक गुलमोहर कमर्शियल काम्पलेक्स,
गौतम नगर, नई दिल्ली– 110049,
फोन नं.: 011–4165 4200, फैक्स नं: 4609 4248
ईमेल: adr@adrindia.org

रिपोर्ट के मुख्य अंश

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और हिमाचल प्रदेश इलेक्शन वॉच ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा 2017 के **68** वर्तमान विधायकों के शपथपत्रों का विश्लेषण किया है, इन **68** में से **6 (9 प्रतिशत)** ऐसे विधायक है, जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आने वाले अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए हैं। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित बातों का विश्लेषण किया गया है:

1. आपराधिक मामलों वाले विधायकों की संख्या जो आर.पी. अधिनियम की धारा 8(1) के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें दोषी ठहराए जाने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा।
2. आपराधिक मामलों वाले विधायकों की संख्या जो आर.पी. अधिनियम की धारा 8(2) के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें कम से कम 6 महीने की सजा के साथ दोषी ठहराए जाने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा।
3. आपराधिक मामलों वाले विधायकों की संख्या जो आर.पी. अधिनियम की धारा 8(3) के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें 2 साल से कम की सजा के साथ दोषी ठहराए जाने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा।

आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के बारे में:

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 में राज्य में 'संसद के किसी भी सदन के सदस्य' के साथ–साथ 'विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य' के रूप में होने और चुने जाने वाले व्यक्तियों के लिए अयोग्यता का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 8 की उप–धाराएं (1), (2) और (3) में प्रावधान है कि इनमें से किसी भी उपधारा में उल्लिखित अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा और उसकी रिहाई के छह साल बाद तक की अवधि के लिए वह अयोग्य बना रहेगा।

धारा 8 (1), (2) और (3) के तहत सूचीबद्ध अपराध गंभीर/भयानक/जघन्य प्रकृति के हैं और भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) के तहत हत्या, बलात्कार, डकैती, लूट, अपहरण, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, रिश्वत, अनुचित प्रभाव, धर्म, नस्ल, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शुत्रता जैसे अपराध शामिल हैं। इसमें भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग, उत्पादन/विनिर्माण/खेती, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, और/या किसी भी नशीली दवा या मनःप्रभावी पदार्थ के सेवन से संबंधित अपराध, FERA, 1973 से संबंधित अपराध, जमाखोरी और मुनाफाखोरी से संबंधित अपराध, भोजन और दवाओं में मिलावट, दहेज आदि से संबंधित अपराध भी शामिल हैं। इसके अलावा, धारा 8 में उन सभी अपराधों को भी शामिल किया गया है जहां एक व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है।

आपराधिक मामले घोषित करने वाले विधायक दलवार जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आरोप तय किए गए हैं।

- 6 विधायकों ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आरोप तय किए गए हैं।
- यह सभी 6 विधायक **BJP** से हैं।

विधायकों के लंबित आपराधिक मामलों का विश्लेषण, जिन्होंने आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आरोप तय किए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और बाद में हुए उपचुनावों के समय विधायकों द्वारा जमा किये गए शपथपत्रों से उपलब्ध जानकारी के आधार पर आर.पी. अधिनियम की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत लंबित आपराधिक मामले जिन में आरोप तय हुए थे, उनकी जानकारी नीचे दी गई है। लेकिन ध्यान रहे कि इन मामलों में पिछले गुजरे वर्षों में कुछ बदलाव हो सकता है। इन मामलों की मौजूदा स्थिति केवल पुनः चुनाव लड़ने वाले विधायकों द्वारा आगामी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए शपथपत्र जमा करने पर ही सही स्थिति मालूम होगी।

- 6 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित रहने की औसत संख्या 5 वर्ष है।
- 2 विधायकों के खिलाफ पांच साल या उससे अधिक समय से कुल 2 आपराधिक मामले लंबित हैं।

सबसे लंबे समय से लंबित आपराधिक मामले:

11 वर्ष	7 वर्ष	4 वर्ष	3 वर्ष	1 वर्ष
• **Forgery of valuable security, will, etc., Forgery for purpose of cheating, Cheating and dishonestly inducing delivery of property, Using as genuine a forged document or electronic record : Dr. Rajeev Bindal** of **BJP** from Nahan constituency	• **House-trespass after preparation for hurt, assault or wrongful restraint, Punishment for Rioting: Surender Shourie** of **BJP** from Banjar constituency.	• **House-trespass after preparation for hurt, assault or wrongful restraint, Voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty, Punishment for criminal intimidation, Punishment for Rioting, Assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty: Rakesh Pathania** of **BJP** from Nurpur constituency. • **Mischief by injury to works of irrigation or by wrongfully diverting water, Mischief causing damage to the amount of fifty rupees, Punishment for Rioting, Punishment of abetment if the act abetted is committed in consequence, and where no express provision is made for its punishment: Hans Raj** of **BJP** from Churah constituency.	• **Punishment for Rioting: Jia Lal** of **BJP** from Bharmour constituency.	• **Punishment for Rioting: Govind Singh Thakur** of **BJP** from Manali constituency

वर्तमान विधायकों का पूर्ण विवरण जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आने वाले अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए हैं। (2017 में प्रस्तुत शपथपत्रों के अनुसार)

क्र0सं0	विधायकों का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	दल	सबसे लंबे समय से लंबित आपराधिक मामले (केवल उन विधायकों के जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आने वाले अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए हैं।)	आईपीसी/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है	चुनाव वर्ष	मामला/एफआईआर वर्ष	लंबित मामलों के वर्षों की संख्या
1	Dr. Rajeev Bindal	Nahan	BJP	IPC Sections - 420, 467, 468, 471, 120B , Other Details - Section 13(2) of P.C. Act., FIR No. 4/2006 dated 02/12/2006 registered at Police Station SV & ACB Solan, H.P., Cognizance Court Ld. Special Judge/Session Judge, Solan, H.P. Case No. 8-S/7/2013, Cognizance Date 20.08.2013, Court which framed the charges Ld. Special Judge/Session Judge, Solan H.P., Framed date 02.03.2015	1 charge related to Forgery of valuable security, will, etc. (IPC Section-467) 1 charge related to Forgery for purpose of cheating (IPC Section-468) 1 charge related to Cheating and dishonestly inducing delivery of property (IPC Section-420) 1 charge related to Using as genuine a forged document or electronic record (IPC Section-471) 1 charge related to Punishment of criminal conspiracy (IPC Section-120B)	2017	2006	**11**
2	Surender Shourie	Banjar	BJP	IPC Sections - 452,147,149 , Other Details - Section 3 of PDPP Act, FIR No. 99/2010, Dated 15/10/2010, P.S.-Banjar, District-Kullu H.P., Next Date of hearing Has Been fixed on 07.11.2017, Court taking Cognizance- CJM L&S at Kullu, Court which framed charge- CJM L&S at Kullu, Date of charge framed- 24.09.2015	1 charge related to House-trespass after preparation for hurt, assault or wrongful restraint (IPC Section-452) 1 charge related to Punishment for Rioting (IPC Section-147)	2017	2010	**7**
3	Rakesh Pathania	Nurpur	BJP	IPC Sections - 452, 147, 149, 353, 332, 506 , Other Details - Section 3 of PDP Act, Criminal Case No. 53-II/13, FIR No. 110/2013, Police Station- Nurupur, Distt.- Kangra, State- Himachal Pradesh, Court taking Cognizance- Judicial	1 charge related to House-trespass after preparation for hurt, assault or wrongful restraint (IPC Section-452) 1 charge related to Voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty	2017	2013	4

क्र0सं0	विधायकों का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	दल	सबसे लंबे समय से लंबित आपराधिक मामले (केवल उन विधायकों के जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आने वाले अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए हैं।)	आईपीसी/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है	चुनाव वर्ष	मामला/एफआईआर वर्ष	लंबित मामलों के वर्षों की संख्या
				Magistrate Ist Class Nurpur, Court No. II, Dist. Kangra HP, Date of Cognizance- 01.10.2013, Court which framed charge- Additional CJM Nurpur and now case has been transferred to the Court of Judicial Magistrate Ist Class Nurupur, Court No. II, Dist. Kangra HP, Date of charge framed- 06.10.2015	(IPC Section-332) 1 charge related to Punishment for criminal intimidation (IPC Section-506) 1 charge related to Punishment for Rioting (IPC Section-147) 1 charge related to Assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty (IPC Section-353)			
4	Hans Raj	Churah	BJP	IPC Sections - **415**, 147, 149, **109**, 186, 427, **430**, **441**, 143 , Other Details - No.146108, P.S.-Tissa, Court Name-Hon. JMFC, Chamba, No.1073/13, Date of Order-29/08/2014	**1 charge related to Mischief by injury to works of irrigation or by wrongfully diverting water (IPC Section-430)** 1 charge related to Mischief causing damage to the amount of fifty rupees (IPC Section-427) 1 charge related to Punishment for Rioting (IPC Section-147) 1 charge related to Punishment of abetment if the act abetted is committed in consequence, and where no express provision is made for its punishment (IPC Section-109)	2017	2013	4
5	Jia Lal	Bharmour	BJP	IPC Sections - 186, 147, 336, 341 , Other Details - FIR No. 14/2014, P.S. Sadar Chamba Dist. H.P., Case No. 85/2014, Court Taken Charges Framed : Ld. C.J.M Chamba Dist. Chamba H.P. Date of Charges Framed : 20/03/2017	1 charge related to Punishment for Rioting (IPC Section-147)	2017	2014	**3**

क्र0सं0	विधायकों का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	दल	सबसे लंबे समय से लंबित आपराधिक मामले (केवल उन विधायकों के जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आने वाले अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए हैं।)	आईपीसी/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है	चुनाव वर्ष	मामला/एफआईआर वर्ष	लंबित मामलों के वर्षों की संख्या
6	Govind Singh Thakur	Manali	BJP	IPC Sections - 147,149 , Other Details - Case No 77/2016, FIR No 83/2016, PS Mandi District Kullu HP, Court Taking Cognizance-JMIC Manali District Kullu HP Date of Cognizance-16.12.2016, Court Which Framed Charge-Ld. JMIC Manali District Kullu HP, Date of Charge Framed-17.04.2017	1 charge related to Punishment for Rioting (IPC Section-147)	2017	2016	**1**

तालिकाः वर्तमान विधायकों का पूर्ण विवरण जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आने वाले अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए हैं।

एडीआर द्वारा अवलोकनः

I. 10 अगस्त, 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 13 फरवरी, 2020 और 25 सितंबर, 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चुनाव लड़ने वाले 10 राजनीतिक दलों को दंडित किया, जिन्होंने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित अपनी वेबसाइट पर 72 घंटों के भीतर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन करने के कारणों को सूचीबद्ध करें। नरम रुख अपनाते हुए, राजनीतिक दलों पर, ₹ 1 लाख से 5 लाख का जुर्माना लगाया गया क्योंकि राजनीतिक दल सर्वोच्च न्यायालय और अन्य मुख्य हितधारकों के बार–बार याद दिलाने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने में विफल रहे थे। वास्तव में, चुनाव जीतने के अपने एकमात्र उद्देश्य के साथ, राजनीतिक दलों ने जानबूझकर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले ऐसे दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और प्रतिभा, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, योग्यता और उपलब्धियों जैसे सहभागी लोकतंत्र में आवश्यक महत्वपूर्ण साख की अनदेखी की गई थी।

II. 10 अगस्त, 2021 का आदेश स्पष्ट रूप से इंगित करता है, कि न तो 'विधायिका और न ही 'राजनीतिक दल कभी भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में 'बाहुबली' उम्मीदवारों के प्रवेश को रोकने के लिए कदम उठाने के इच्छुक होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अगस्त, 2021 को अपने आदेश में दुखद रूप से कहा था, ''इस न्यायालय ने बार–बार देश के कानून निर्माताओं से अपील की है कि वे इस मुद्दे पर आवश्यक संशोधन लाने के लिए कदम उठाएं ताकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की राजनीति में भागीदारी प्रतिबंधित हो। ये सभी अपीलें ठंडे बस्ते में पड़ी हैं।''

III. राजनीति में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में छह आदेश दिए हैं; **10 मार्च, 2014 (एक वर्ष के भीतर परीक्षण); 27 अगस्त, 2014 (प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मंत्रियों को नियुक्त नहीं करने का विशेषाधिकार) 1 नवंबर, 2017 (विशेष 11 फास्ट–ट्रैक कोर्ट); 25 सितंबर, 2018 (आपराधिक मामलों का प्रकाशन); 13 फरवरी, 2020 (आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को टिकट देने का कारण), 10 अगस्त, 2021 (सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करने पर राजनीतिक दलों को दंड)।** दुर्भाग्य से, इनमें से कोई भी आदेश पार्टियों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से नहीं रोक पाया है। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, ''राष्ट्र इस तरह के कानून का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि समाज को उचित संवैधानिक शासन द्वारा शासित होने की एक वैध उम्मीद है। जब धनबली और बाहुबली सर्वोच्च शक्ति बन जाता है तो देश को पीड़ा होती है।''

IV. कानून में यह कमी जनहित के लिए हानिकारक है। न्यायपालिका द्वारा कठोर कार्रवाई और उपाय किए जाने की आवश्यकता है। केवल चेतावनी या मामूली जुर्माना लगाने से चुनाव से आपराधिक तत्वों को खत्म करने में मदद नहीं मिलेगी। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि सुधारों को हमारे नेताओं और राजनीतिक दलों के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए, यह समय की आवश्यकता है कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे कानून निर्माताओं द्वारा जानबूझकर खाली छोड़े गए क्षेत्र में कदम उठाए और हमारी चुनावी और राजनीतिक प्रक्रिया से ऐसे तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाने वाले निर्देश लाए।

V. अब समय आ गया है कि न्यायालय इस विश्वास को खत्म कर दें कि 'आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता उनकी शक्तियों के दायरे से बाहर है।' 'शक्तियों का विभाजन' सिद्धांत एक सहवर्ती सिद्धांत है जिसे 'नियंत्रण और संतुलन' कहा जाता है। जबकि संघीय ढांचे का प्रत्येक स्तंभ अपने कार्यों को अभ्यास में स्वतंत्र है, हालांकि, यदि कोई एक स्तंभ वह नहीं करता है जो उसे करना चाहिए या कुछ गलत करता है, अन्य दो स्तंभों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक स्तंभ की अक्षमता या अनिच्छा से उत्पन्न होने वाली विकृतियों को ठीक करने के लिए कदम उठाएँ जैसा कि संविधान में दर्शाया गया है। निहितार्थ यह है कि प्रत्येक स्तंभ का अधिकार स्वतंत्र है, लेकिन यह निरपेक्ष नहीं है। यह अन्य दो स्तंभों द्वारा 'नियंत्रित और संतुलित' होने के अधीन है।

एडीआर द्वारा सिफारिशें

सुशासन केवल अच्छे लोगों के हाथ में होता है। राजनीतिक में आपराधिकता की बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाने के लिए समाधनों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो इसे करने की हिम्मत और इच्छाशक्ति की। केवल ईमानदार, निष्पक्ष, विश्वसनीय, सक्षम और चरित्रवान और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों को ही चुनाव लड़ना चाहिए और प्रमुख नीति निर्माता बनना चाहिए।

1999 की कई समितियों द्वारा दी गई विभिन्न सिफारिशें ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं। एडीआर दृढ़ता से महसूस करता है कि यदि (a) कानून में कोई अंतर, शून्यता या दुर्बलता है, (b) विधायिका और कार्यपालिका के पास अंतराल को भरने या दुर्बलता को ठीक करने का समय नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, (c) जनहित पीड़ित है, तो न्यायपालिका को न केवल अधिकार है, बल्कि यह उसका कर्तव्य भी है कि वह इस कमी को पूरा करे और इस कमी को दूर करे।

इसलिए, एडीआर निम्नलिखित सिफारिशों का दृढ़ता से महसूस करता है और उनका समर्थन करता है, कि हमारे सहभागी लोकतंत्र और कानून के शासन को नुकसान पहुंचाने वालों पर बिना किसी देरी के तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।

I. **'अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों' पर अयोग्यताः** अपराधीकरण की समस्या से निपटा जा सकता है यदि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अपराध के चरण और डिग्री दोनों के आधार पर चुनावी प्रक्रिया में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह उन उम्मीदवारों को सार्वजनिक कार्यालयों में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करके प्राप्त किया जा सकता है जिनके खिलाफ न्यायालय द्वारा कम से कम 5 वर्ष के कारावास के अपराधों के आरोप लगे है और जो मामला चुनाव से कम से कम 6 महीने पहले दायर किया गया है।

II. **जघन्य अपराधों के लिए स्थायी अयोग्यताः** हमारे और इस देश के लिए कानून बनाना और देश के लिए नीतियां बनाने वाले कानून निर्माताओं पर जघन्य अपराधों का आरोप लगना या उन्हें दोषी ठहराना निंदनीय है। हत्या, बलात्कार, तस्करी, डकैती, अपहरण, लूट आदि जैसे जघन्य अपराधों के लिए दोषी उम्मीदवारों को स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।

III. उम्मीदवारों के चयन के लिए मापदंडः राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के चयन के लिए एक सख्त मापदंड होना चाहिए। 13 फरवरी, 2020 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, राजनीतिक दलों को पहले से ही उम्मीदवारों के चयन के लिए कारण बताने की आवश्यकता है और साफ छवि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है। निर्णय के अनुसार ऐसे चयन का कारण संबंधित उम्मीदवार की उपलब्धियों और योग्यता के संदर्भ में होना चाहिए और न की उसकी चुनाव ''जीतने'' की क्षमता।

IV. किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी द्वारा आपराधिक मामलों पर वार्षिक सूचना दाखिल करनाः राजनीतिक दल को अपने पदाधिकारियों जैसे अध्यक्ष, सचिव, महासचिव, संयोजक, कोषाध्यक्ष आदि के आपराधिक मामलों की जानकारी सालाना दर्ज करनी चाहिए और इस तरह के आंकड़े जनता के लिए उपलब्ध कराने चाहिए, जिसमें शून्य वाले मामले भी शामिल हों।

V. विधायकों/सांसदों के न्यायालय में लंबित मामलों की फास्ट ट्रैकिंगः सांसदों और विधायकों के खिलाफ सभी लंबित मामलों को तेजी से ट्रैक किया जाना चाहिए और 10 मार्च, 2014 और 1 नवंबर, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार एक वर्ष की अवधि के भीतर निष्कर्ष पर लाया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि सीआरपीसी की धारा 321 के तहत दी गई ऐसी बेलगाम और मनमानी शक्ति का सरकारों द्वारा शक्तिशाली राजनेताओं, मंत्रियों और अन्य अमीर और शक्तिशाली लोगों के खिलाफ लंबित मामलों को वापस लेने को आदेश देकर दुरुपयोग तो नहीं किया जाता है।

VI. चुनाव आयोग द्वारा तैयार और साझा किए जाने वाले राजनीतिक दलों की सूचिः भारत के चुनाव आयोग से 25 सितंबर, 2018, 13 फरवरी, 2020 और 10 अगस्त, 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अपने पत्र में लागू करने की उम्मीद है, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा चुने गए ऐसे दागी उम्मीदवारों के नाम और चयन के कारणों को सूचीबद्ध करना होगा। इस सूचि को हर चुनाव के बाद सही रूप से तैयार कर सर्वोच्च न्यायालय में जमा करने की जरूरत है और इसे सार्वजनिक निरीक्षण के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।

VII. राजनीतिक दलों को अमान्य करनाः सर्वोच्च न्यायालय के 25 सितंबर, 2018, 13 फरवरी, 2020 और 10 अगस्त, 2021 के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अनुच्छेद 16 A के तहत एक गंभीर उल्लंघन माना जाना चाहिए। अनुच्छेअ 16 A आयोग को आदर्श आचार संहिता का पालन न करने या आयोग के वैध आदेशों और निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता को निलंबित करने या वापस लेने का भी अधिकार है। इसलिए, भारत के चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ अनुच्छेद 16 A के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग

करना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की लगातार विफलता और अवज्ञा के लिए किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता को निलंबित या वापस लेना चाहिए।

VIII. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की पूर्व घोषणाः चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूचि चुनाव से कम से कम 3 महीने पहले घोषित की जानी चाहिए और उन्हें किसी विशेष पार्टी को बदलने/शामिल होने और अगले चुनाव में उनके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि और उसके स्त्रोत के बारे में विशेष कारण बताते हुए शपथपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। यह सभी जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में लाई जानी चाहिए।

IX. उल्लंघन के लिए पार्टियों को परिणाम भुगतने होंगेः राजनीतिक दलों को यह महसूस करना चाहिए कि विभिन्न हितधारकों द्वारा ईमानदार, विश्वसनीय उम्मीदवारों के चयन करने की अपील; नागरिक, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय के लिए अनिवार्य हैं और इसलिए अनुपालन वैकल्पिक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के 25 सितंबर, 2018, 13 फरवरी, 2020 और 10 अगस्त, 2021 के आदेश की खुलेआम अवहेलना करने के लिए पार्टियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अपर्याप्त प्रकटीकरण, अमान्य और सामान्य कारणों, जीत के आधार पर उम्मीदवारों का चयन, समय पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने आदि के लिए उन पर भारी वित्तीय दंड लगाया जाना चाहिए। अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित एक राजनीतिक दल के प्रभारी अधिकारी को भी इस तरह के उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

X. राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र के लिए प्रावधानों का परिचय देंः दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक होने के बावजूद, हमारे राजनीतिक दलों का कामकाज करने का तरीका बहुत अलोकतांत्रिक है। राजनीतिक दल अपने 'आचार संहिता' और स्वयं के लिए शुरू किए गए सुधार में बुरी तरह से विफल रहे हैं। इसलिए राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शी निर्णय लेने, टिकट वितरण, पदाधिकारियों के चुनाव, वित्तीय पारदर्शिता और मजबूत संगठनात्मक अनुशासन को लागू करने के लिए अनिवार्य प्रावधान किए जाने चाहिए। इसमें सभी आंतरिक पार्टी पदों और उम्मीदवारों के चयन के लिए सभी चुनावों के लिए गुप्त बैलेट मतदान अनिवार्य होना चाहिए, जैसा कि 170वें विधि आयोग की रिपोर्ट द्वारा सुझाया गया है।

XI. नोटा को अधिक शक्तिः 23 सितंबर, 2013 को सर्वोच्च न्यायालय के नोटा के फैसले पर अगला कदम उठाना आवश्यक है। (a) यदि नोटा को किसी भी उम्मीदवार की तुलना में अधिक वोट मिलते है, तो किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित नहीं किया जाना चाहिए, और दुबारा चुनाव होने चाहिए; (b) यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी उम्मीदवारों को नोटा से कम वोट मिलते है तो उन्हें दुबारा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

XII. राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में घोषित किया जाए: आरटीआई कानून के तहत पार्टियों को लाने से नागरिकों को न केवल आंतरिक पार्टी चुनाव, टिकट वितरण के मापदंड जैसी जानकारी, ऑडिट, समीक्षा, जांच और आंकलन का अधिकार होगा, बल्कि लोगों को हमारे राजनीतिक दलों द्वारा मैदान में उतारे जाने वाले उम्मीदवारों के लिए पदाधिकारियों से निश्चित और सीधा जवाब लेने की भी अनुमति देगा। इसलिए, यह उचित समय है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस वर्तमान स्थिति पर ध्यान दे और पार्टियों को आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाकर 3 जून, 2013 सीआईसी के आदेश को लागू करे।

XIII. राजनीतिक दलों के मामलों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता: राजनीतिक दल हमारे संवैधानिक, लोकतांत्रिक, सामाजिक–आर्थिक गठन के अंतिम भंडार और संरक्षक हैं, लेकिन हमारे पास राजनीतिक दलों से पूरी तरह से निपटने वाला एक भी व्यापक कानून नहीं है। एक व्यापक कानून के अभाव में, नागरिक राजनीतिक वर्ग और राजनेताओं के कामकाज पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, उनका मूल्यांकन और ऑडिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए, राजनीतिक दलों के कामकाज को विनियमित करने, उनकी पार्टी के संविधान की मान्यता, पार्टी के अंगों के विभिन्न स्तरों पर चुनाव, पंजीकरण और गैर–पंजीकरण की शर्तों, खातों के अनिवार्य रखरखाव, संगठनात्मक पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानून की सख्त आवश्यकता है। यह प्रावधान '170वें विधि आयोग की रिपोर्ट, भाग 3, अध्याय 1' और NCRW रिपोर्ट के अध्याय 8 में अनुशंसित है।

XIV. झूठे शपथपत्रों को तत्काल अयोग्यता का कारण बनना चाहिए: उम्मीदवारों द्वारा शपथपत्रों में गलत जानकारी देना चुनाव आयोग द्वारा हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। आखिरकार, यह 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आरपीए अधिनियम, 1951 की धारा 125A उम्मीदवारों को गलत/झूठी जानकारी प्रस्तुत करने से नहीं रोक पाई है क्योंकि इसमें केवल 6 महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता हैं, और इसलिए अयोग्यता को आकर्षित नहीं करता है। चुनावी शपथपत्रों में गलत जानकारी, कोई जानकारी न देना, झूठी जानकारी देने वाले उम्मीदवारों को तत्काल अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।

XV. फर्स्ट–पास्ट–द–पोस्ट, "पंजीकृत मतों का 50 प्रतिशत + 1": कानून आयोग, NCRW, जैसी विभिन्न समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार 'किसी भी उम्मीदवार को तब तक निर्वाचित घोषित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह 50 प्रतिशत से अधिक मत हासिल नहीं कर लेता।' जब किसी उम्मीदवार को मतदाताओं की आवश्यक संख्या नहीं मिलती है, तो शीर्ष दो उम्मीदवारों के बीच अधिकतम वोट पाने के लिए स्पर्धा होनी चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि डाले गए वोटों का 50 प्रतिशत + 1 निर्वाचित घोषित करने के लिए एक आसान आवश्यकता है, एक अधिक कठोर आवश्यकता और उपयुक्त और उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आदर्श है।

XVI. सांसदों और विधायकों की वार्षिक रिपोर्टः निर्वाचित सांसदों और विधायकों को पिछले वर्ष की अपनी उपलब्धियों और अगले वर्ष की योजना का विवरण देते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक 'वार्षिक रिपोर्ट' प्रस्तुत करने की आवश्यकता होनी चाहिए। यह रिपोर्ट लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभा की वेबसाइट और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

विधायकों के घोषित आपराधिक मामलों का पूर्ण विवरण, जिन्होंने आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आरोप तय किए गए हैं। (2017 में प्रस्तुत शपथपत्रों के अनुसार)

क्र0सं0	विधायकों का विवरण	आईपीसी का संक्षिप्त विवरण/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है
1	**Name:**Surender Shourie **District:**Kullu **Constituency:** Banjar **Party:**BJP **Cases (Charges Framed)** 1. IPC Sections - 452,147,149 , Other Details - Section 3 of PDPP Act, FIR No. 99/2010, Dated 15/10/2010, P.S.-Banjar, District-Kullu H.P., Next Date of hearing Has Been fixed on 07.11.2017, Court taking Cognizance- CJM L&S at Kullu, Court which framed charge- CJM L&S at Kullu, Date of charge framed- 24.09.2015	1 charge related to House-trespass after preparation for hurt, assault or wrongful restraint (IPC Section-452) 1 charge related to Punishment for Rioting (IPC Section-147)
2	**Name:**Jia Lal **District:**Chamba **Constituency:** Bharmour **Party:**BJP **Cases (Charges Framed)** 1. IPC Sections - 341, 143, 147, 149 , Other Details - FIR No. 23/16, P.S. Bharmour, Chamba, State Versus Jia Lal and Other, Case No. 23/2016, Court Taken Charges Framed : LD. C.J.M Chamba Dist. Chamba H.P. Date of Charges Framed : 16/05/2017 2. IPC Sections - 186, 147, 336, 341 , Other Details - FIR No. 14/2014, P.S. Sadar Chamba Dist. H.P., Case No. 85/2014, Court Taken Charges Framed : Ld. C.J.M Chamba Dist. Chamba H.P. Date of Charges Framed : 20/03/2017	2 charges related to Punishment for Rioting (IPC Section-147)
3	**Name:**Rakesh Pathania **District:**Kangra	1 charge related to House-trespass after preparation for hurt, assault or wrongful restraint (IPC Section-452)

क्र0सं0	विधायकों का विवरण	आईपीसी का संक्षिप्त विवरण/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है
	Constituency: Nurpur **Party:**BJP **Cases (Charges Framed)** 1. IPC Sections - 452, 147, 149, 353, 332, 506 , Other Details - Section 3 of PDP Act, Criminal Case No. 53-II/13, FIR No. 110/2013, Police Station- Nurupur, Distt.- Kangra, State- Himachal Pradesh, Court taking Cognizance- Judicial Magistrate Ist Class Nurpur, Court No. II, Dist. Kangra HP, Date of Cognizance- 01.10.2013, Court which framed charge- Additional CJM Nurpur and now case has been transferred to the Court of Judicial Magistrate Ist Class Nurupur, Court No. II, Dist. Kangra HP, Date of charge framed- 06.10.2015	1 charge related to Voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty (IPC Section-332) 1 charge related to Punishment for criminal intimidation (IPC Section-506) 1 charge related to Punishment for Rioting (IPC Section-147) 1 charge related to Assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty (IPC Section-353)
4	**Name:**Dr. Rajeev Bindal **District:**Sirmour **Constituency:** Nahan **Party:**BJP **Cases (Charges Framed)** 1. IPC Sections - 420, 467, 468, 471, 120B , Other Details - Section 13(2) of P.C. Act., FIR No. 4/2006 dated 02/12/2006 registered at Police Station SV & ACB Solan, H.P., Cognizance Court Ld. Special Judge/Session Judge, Solan, H.P. Case No. 8-S/7/2013, Cognizance Date 20.08.2013, Court which framed the charges Ld. Special Judge/Session Judge, Solan H.P., Framed date 02.03.2015	1 charge related to Forgery of valuable security, will, etc. (IPC Section-467) 1 charge related to Forgery for purpose of cheating (IPC Section-468) 1 charge related to Cheating and dishonestly inducing delivery of property (IPC Section-420) 1 charge related to Using as genuine a forged document or electronic record (IPC Section-471) 1 charge related to Punishment of criminal conspiracy (IPC Section-120B)
5	**Name:**Govind Singh Thakur **District:**Kullu **Constituency:** Manali **Party:**BJP **Cases (Charges Framed)**	1 charge related to Punishment for Rioting (IPC Section-147)

क्र0सं0	विधायकों का विवरण	आईपीसी का संक्षिप्त विवरण/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है
	1. IPC Sections - 143, 341, 149 , Other Details - Case No 48/2014, FIR No 90/2014, PS Manali, District Kullu HP, Court Taking Cognizance- Ld. JMIC Manali District Kullu HP, Date of Cognizance- 13.11.2014, Court Which Framed Charge- Ld. JMIC Manali, District Kullu HP, Date of Charge Framed-04.05.2015 2. IPC Sections - 147,149 , Other Details - Case No 77/2016, FIR No 83/2016, PS Mandi District Kullu HP, Court Taking Cognizance-JMIC Manali District Kullu HP Date of Cognizance-16.12.2016, Court Which Framed Charge-Ld. JMIC Manali District Kullu HP, Date of Charge Framed-17.04.2017	
6	**Name:**Hans Raj **District:**Chamba **Constituency:** Churah **Party:**BJP **Cases (Charges Framed)** 1. IPC Sections - **415**, 147, 149, **109**, 186, 427, **430**, **441**, 143 , Other Details - No.146108, P.S.-Tissa, Court Name-Hon. JMFC, Chamba, No.1073/13, Date of Order-29/08/2014 2. IPC Sections - 336, 186 , Other Details - No.14/14, P.S.-Tissa, Court Name-CJM Chamba, No.85/2014, Date of Order-20/3/2017	1 charge related to Mischief by injury to works of irrigation or by wrongfully diverting water (IPC Section-430) 1 charge related to Mischief causing damage to the amount of fifty rupees (IPC Section-427) 1 charge related to Punishment for Rioting (IPC Section-147) 1 charge related to Punishment of abetment if the act abetted is committed in consequence, and where no express provision is made for its punishment (IPC Section-109)

ADR
Association for Democratic Reforms
National Election Watch
Association for Democratic Reforms and
National Election Watch present
THE UPGRADED
MYNETA APP
MYNETA
an open data repository run by
Association for Democratic Reforms
DOWNLOAD TODAY!
And be a part of our #MeraVoteMeraDesh Campaign
GET IT ON
Google Play
Scan the QR code to download
Visit our website:
www.adrindia.org
www.myneta.info

एडीआर को दान करें

राज्य विधानसभा चुनावों के लिए हमारे #मेरावोटमेरादेश अभियान का समर्थन करने क लिए हमें आपकी सहायता की आवष्यकता है। इस अभियान का उद्देश्य राजनीतिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को खत्म करना, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की जानकारी के अधिक प्रसार के माध्यम से मतदाताओं को सशक्त बनाना है। **आप निम्नलिखित क्यूआर कोड का उपयोग करके हमे दान कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट के लिंक पर जा सकते हैं।**

एडीआर स्पीक्स पॉडकास्ट

एडीआर स्पीक्स चुनावी और राजनीतिक सुधारों से संबंधित मुद्दों पर एक पॉडकास्ट श्रृंखला है। एडीआर उम्मीदवारों के पृष्ठभूमि विवरण, राजनीतिक दलों की आय के स्त्रोतों, चुनावी खर्च, चुनावी बॉन्ड आदि का विश्लेषण करता है। इन एपिसोड में, एडीआर आम जनता की समझ और पहुंच के लिए अपनी रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों का विश्लेषण करता है, जिससे वे एक सूचित विकल्प बनाने में सक्षम होते हैं। एडीआर के पॉडकास्ट में भारत की लोकतांत्रिक राजनीति से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञों, शोधार्थियों, सार्वजनिक बुद्धिजीवियों, पूर्व चुनाव अधिकारीयों आदि के साथ चर्चा की जाएगी। एडीआर वेबसाइट पर एपिसोड तक जाने के लिए कृप्या आइकन दबाए।

Listen to Our Podcast on

Anchor

Other platforms

To Get Information About Candidates/Parties/MPs/MLAs/Corporators/PILs in courts

Journalist Helpline no: **8010394248**

Subscribe to ADR on WhatsApp for updates: **7840067840**

Visit: **www.myneta.info, www.adrindia.org**

Email: **adr@adrindia.org**

To contact ADR State Partners, visit:
https://adrindia.org/about-adr/state-coordinators

Social Media

/myneta.info /adr.new @adrspeaks /adrspeaks /adrspeaks

https://www.linkedin.com/company/association-for-democratic-reforms/

Our Websites

www.adrindia.org

Provides detailed analytical reports of Lok Sabha, State Assemblies, local body elections & financial reports of political parties & ongoing PILs in courts

www.myneta.info

Provides full information of criminal cases, asset, liability and education details declared by candidates in the self sworn affidavits

Android Apps

Myneta: The criminal, financial, educational & other background information self declared by candidates in their affidavits during elections is now available on your mobile phones.

Election Watch Reporter: This app provides a tool to the citizens to capture violations of election related laws & the code of conduct.

Both the applications are available on Google Play Store

Office Address

Association for Democratic Reforms
T-95, CL House, Second Floor,
Near Gulmohar Commercial Complex, Gautam Nagar,
Landmark: Green Park Metro Station (GN exit),
New Delhi-110 049,
Tel.: 011- 41654200, Fax: 011 - 46094248

सम्पर्क:

हिमाचल प्रदेश इलेक्शन वॉच

श्री ओ.पी. भूरैटा
स्टेट कोर्डिनेटर
+91-9318820000
+91-9418454867
opbhuraita@gmail.com
opbhuraita@rediffmail.com

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ए.डी.आर)/नेशनल इलेक्शन वॉच (एन.ई.डब्लयू)

मीडिया और पत्रकार हैल्पलाईन		+ 91 80103 94248	adr@adrindia.org
मेजर जनरल अनिल वर्मा (सेवानिवृत्त)	हेड/नेशनल कोर्डिनेटर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंव नेशनल इलेक्शन वॉच	+ 91 88264 79910	anilverma@adrindia.org
प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री आई.आई.एम बैंगलोर	फाउण्डर मेम्बर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंव नेशनल इलेक्शन वॉच	+ 91 94483 53285	tsastry@gmail.com
प्रोफेसर जगदीप छोकर सेवानिवृत्त आई.आई.एम अहमदाबाद,	फाउण्डर मेम्बर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंव नेशनल इलेक्शन वॉच		jchhokar@gmail.com

अस्वीकृति

इस रिपोर्ट में दी गयी संपूर्ण जानकारी को एडीआर द्वारा भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट (https://affidavit.eci.gov.in/) से प्राप्त किया गया है और सभी जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है। एडीआर किसी भी जानकारी में तब तक कोई परिवर्तन नही करता है, जब तक कि भारतीय चुनाव आयोग से पुष्टि ना हो जाए। एडीआर, भारतीय चुनाव आयोग के अलावा अन्य किसी भी स्त्रोत या जानकारी का उपयोग नही किया करता है। हालांकि एडीआर द्वारा यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए गए हैं कि दी गई जानकारी ईसीआई वेबासइट में उपलब्ध जानकारी के अनुसार है। इस रिपोर्ट के माध्यम से एडीआर द्वारा दी गई जानकारी मे अन्तर होने पर ईसीआई वेबासाइट में दी गयी जानकारी को सही माना जाए और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, हिमाचल प्रदेश इलेक्शन वॉच और उनके स्वयंसेवक, इस रिपोर्ट प्रकाशन के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली किसी भी क्षति के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होंगे।

एडीआर, भारत के चुनाव आयोग के साथ जमा किए गए शपथपत्रों से चुनाव के समय उम्मीदवारों द्वारों प्रस्तुत की गई पृष्ठभूमि की जानकारी के विश्लेषण और प्रसार में अत्याधिक सावधानी बरतता है। इस तरह की जानकारी का उद्देश्य केवल राजनीति में बढ़ती आपराधिकता, चुनावों में धन के दुरुपयोग में वृद्धि को उजागर करना है ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की व्यवस्था को सुगम बनाया जा सके और मतदाताओं को एक सूचित विकल्प बनाने में सक्षम बनाया जा सके। इसलिए, यह अपेक्षा की जाती है कि इस रिपोर्ट का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति एडीआर द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा का उपयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरतेगा। एडीआर डेटा में किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल, परिवर्तन, समझने में असमर्थता, गलत व्याख्या या हेरफेर के लिए जिम्मेदार नहीं है जिससे किसी विशेष राजनीतिक दल या राजनेता या उम्मीदवार को निशाना बनाया जा सके।